



UPSI010000292021

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट
सं०-२, सीतापुर।

उपस्थित- गगन कुमार भारती, (उच्चतर न्यायिक सेवा) J.O.Code no-UP6253

केस नं० ०९/२०२१

CIS No. 09/2021

सरकार

बनाम

बेचेलाल उर्फ करिया आदि।

अ०सं०- 143/2020

धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि०

थाना मछरेहटा, जिला सीतापुर।

आरोप

मैं, गगन कुमार भारती, विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-२, सीतापुर आप अभियुक्तगण **बेचेलाल उर्फ करिया, राकेश, मेदे, छोटक्के एवं सुधीर गुप्ता** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:-

प्रथम:- आप लोगो ने वर्ष 2020 में तथा उससे पूर्व जनपद सीतापुर की सीमा में विभिन्न समय व स्थानों पर भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 17 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से चोरी, नकबजनी जैसे जघन्य अपराध कारित किया। इस प्रकार आप लोगो ने समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हुये धारा 2/3 उ० प्र० गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी गतिविधि (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा मैं यह निर्देश देता हूँ कि उक्त आरोप में आप लोगो का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनांक: 19.02.2021

(गगन कुमार भारती)

विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-२,
सीतापुर।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया उन्होंने उक्त आरोप से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की।

दिनांक: 19.02.2021

(गगन कुमार भारती)

विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-२,
सीतापुर।

वसीम/